इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic. in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जनवरी 2021—पौष 11, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 12006-बाईस-वि-2-मु.का.अ-स्था.-20 भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत तथा ग्रामीण विकास (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1988 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 11 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(3) सीधी भर्ती के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लयू.एस.) के सदस्य हों क्रमशः 16%, 20%, 27% तथा10%, रिक्त पद आरक्षित होंगे।"।

2. नियम 19 के पश्चात्, विद्यमान टिप्पणी के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"टिप्पणीः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रं. एफ 10-1/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 27.03.2015 के अनुसार जनपद पंचायत के नवनियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा विकास खण्ड अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में, प्रशिक्षण कालावधि के दौरान अर्जित ज्ञान एवं कौशल के मूल्यांकन हेतु संचालित की जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। किसी अभ्यर्थी के इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की दशा में, उसे पूरक परीक्षण/परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने का प्रशिक्षण संस्था द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात्, शासकीय सेवक परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समस्त सेवा अभिलाभ (वेतनवृद्धि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि) प्राप्त करेगा।"।

No. 12006-XXII-D-2-C.E.O-Estt.-20/

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Panchayat and Rural Development (Gazetted) Recruitment Rules, 1988, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 11, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) For direct recruitment, 16%, 20%, 27% and 10% vacant posts shall be reserved for those candidates who are the members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Section of the State respectively.".

2. After rule 19, for the, existing Note the following Note shall be substituted, namely :-

"Note: As per the Circular No. F 10-1/2015/1/9 Bhopal dated 27.03.2015 issued by the General Administration Department it is compulsory for the newly appointed Chief Executive Officer of Janpad Panchayat and Block Development Officer to pass at the end of the training programme the exam to be conducted to evaluate the knowledge and skills acquired during the training period. In case any candidate fails to clear this examination, he shall be given opportunity of supplementary test/examination. After receiving the certificate issued by the training institution of successfully completing the training program, the government servant shall get all the service benefits (increment, confirmation, seniority, promotion etc.) on successful completion of probation period.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभा निकुंज, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.